आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी और तारीख

04.04.2019

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया

सी0सी0ए0 वाद संख्या-65/2019

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य

बनाम

अपराधकर्मी सिकन्दर यादव उर्फ बाबाजी यादव

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** के **2080/सी0आर0, दिनांक 27.03.2019** के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी **सिकन्दर यादव उर्फ बाबाजी यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-बालूटोल, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया** के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी **सिकन्दर यादव उर्फ बाबाजी यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-बालूटोल, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया** एक पेशेवर आदतन एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। इनका एक संगठित गिरोह है, जो **आर्म्स एक्ट** में आरोपित रहा है। जिसके आतंक से लोगों में दहसत का माहौल व्याप्त है। वर्त्तमान में ये अपराधकर्मी जमानत पर मुक्त हैं। अगर इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये आगामी लोकसभा चुनाव-2019 में मतदाताओं को भयभीत कर सकता है एवं उन्हें मतदान से वंचित करने का प्रयास भी कर सकता है, जिससे लोक शांति भंग हो सकती है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. सरसी थाना कांड संख्या-128/2018 दिनांक 30.09.18, धारा-26/35 आर्म्स एक्ट

2. थाना दैनिकी सनहा संख्या-511/2019 दिनांक 24.03.19

3. **थाना दैनिकी सनहा संख्या-519/2019 दिनांक 25.03.19**

इस वाद में विपक्षी को **थानाध्यक्ष, सरसी** के माध्यम से नोटिस का तामिला कराया गया। विपक्षी स्वयं उपस्थित होकर कारणपृच्छा समर्पित किए। समर्पित कारणपृच्छा संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मै संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** है तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय **XVI** या अध्याय **XVII** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर **सिकन्दर यादव उर्फ बाबाजी यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-बालूटोल, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया** को **सरसी** थाना क्षेत्र से तड़ीपार करते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के अंतर्गत आदेश निर्गत होने के छः माह पूर्ण होने तक **प्रत्येक गुरूवार को थाना-बायसी में** पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 **दिन के बीच उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। शेष दिवस को स्थानीय थाना सरसी** में उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

विपक्षी यदि दिनांक 18.04.2019 को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मतदान की तिथि से कम से कम एक दिन पुर्व संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचने का रूटचार्ट एवं मोबाईल नं0 **थानाध्यक्ष, बायसी** को उपलब्ध कराते हुए उनसे अनुमति प्राप्त करेंगे तथा मतदान की तिथि को स्थानीय थाना **सरसी** में भी सूचना देंगे।

अतएव **सिकन्दर यादव उर्फ बाबाजी यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-बालूटोल, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया** को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु **थानाध्यक्ष, सरसी/बायसी** को भेजें।

थानाध्यक्ष, सरसी/बायसी को निदेश दिया जाता है कि वे

अपने थाना में अपराधकर्मी **सिकन्दर यादव उर्फ बाबाजी यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-बालूटोल, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया** के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक निर्धारित दिवस में उक्त अपराधकर्मी का उपस्थिति दर्ज करवायेंगें तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजना सुनिश्चित करेगें।

आदेश की प्रति **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी/बायसी तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति **जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया** को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु **जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।